न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 72/2019

1. हरि उर्फ हरिमोहन पुत्र इन्द्राज मीना जाति मीना निवासी ग्राम नीम का पाडा तहसील दौसा जिला दौसा।

.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरि मु0नं0 427/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री मोहम्मद आरिफ, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांकः 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिण्डोली द्वारा उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा के यहां इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम नीम का पाडा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 986 रकबा 14.60 है0 किस्म चरागाह में से 0.25 है0 भूमि पर बाजरा की काश्त कर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 के द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल किया जाने एवं पेनल्टी तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित कर दिया गया। उप तहसीलदार सैंथल के उक्त आदेश दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का सिण्डोली ने अपीलांट के विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट उप तहसीलदार सैंथल के यहां इस आशय से प्रस्तुत की कि ग्राम नीम का पाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 986 रकबा 0.25 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट द्वारा बाजरा बुआई कर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना एवं जिरह का अवसर दिये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति मे बिना कोई जांच किये एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपीलांट के तर्को का खंडन करते हुए बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट के भाई के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे नियत तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बाजरा बुआई कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामील संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सरसों बाजरा बुआई कर व कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चावर्ती अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official